

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईव्त्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7. व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



न्यायालय अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 396/2023

पत्र. अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.व 136 एलआरएक्ट

कर्मजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
कुलदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
—वादीगण

बनाम्

- कुलवीर कौर पत्नी कर्मजीत सिंह पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी सदीक पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
- बलविन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
- छिन्द्रपाल पुत्र जीतसिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
- परमिन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति तरखान सकनाए बोलावाली तहसील संगरिया।
- प्रभुदयाल पुत्र खुमानाराम जाति महाजन निवासी व तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
- विमलादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक :- 13.5.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझे जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरु हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छिम्पा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजीव बिश्नोई प्रतिवादी
संख्या 1 ता 4, 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है. एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव. मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 7 एएमपी

- विमलादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट सा.बोलावाली

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
166/154	49	25/1/228, 25/2/0.025 गै.मु.खाला
167/154	50	21/1/0.228, 21/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 22,23,24/0.759
166/155	54	5/1/0.107 उत्तरी पासा

- कर्मजीत सिंह व कुलदीप सिंह पुत्रगण सुखदेव सिंह बहिब जाति जटसिख सा.बोलावाली

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
167/155	53	10/1/0.228, 10/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 14,15,18,19/1.012, 20/1/0.228, 20/2/0.025 गै.मु.रास्ता,
166/155	54	15/1/0.107 दक्षिण पासा, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु.खाला

- छिन्द्रपाल पुत्र जीतसिंह व परमिन्द्रकौर पत्नी राजेन्द्र सिंह बहिब जाति तरखान सा.बोलावाली

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
167/155	53	1/1/0.202, 1/2/0.025 गै.मु.खाला, 1/3/0.026 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.खाला 3/2/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.खाला, 7 ता 9/0.759, 11/1/0.228, 11/2/0.025 गै.मु.खाला 12,13/506, 21/1/0.228, 21/2/0.025 गै.मु.खाला,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया


166/155	54	5/1/0.095, दक्षिणी पासा 5/2/0.051 गै.मु.खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.खाला, 15/1/0.121 उतरी पासा, 15/2/0.025 गै.मु.खाला
---------	----	--


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/4469 दिनांक 17.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ~~...~~ मुब्लिक ~~...~~ बाबत ~~...~~ खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ~~...~~ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.5.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।




 (जय कौशिक)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी,
 संगरिया
 संगास